

बन्दोबस्त कार्यालय, बेगूसराय

पत्रांक...../सर्वे बेगू० दिनांक...../

प्रेषित,

श्री माधव ठाकुर,
उजरत भोगी अमीन,
अमीन नं०- 172
पिता- कारी ठाकुर,
ग्राम+पो०-धरकारा महादेव स्थान,
भाया - गणपत गंज,
जिला - सुपौल।
मौजा-सैदपुर सहला थाना, नं०- 436

श्री माधव ठाकुर, उजरत भोगी अमीन नं०-172 अंचल खानापूरी शिविर, शाम्हो, अकहा, कुरहा के मौजा-सैदपुर सहला थाना नं०-436 में सर्वे कार्य हेतु प्रतिनियुक्ति थे। उनके भ्रष्ट आचरण के कारण शिकायत की गई थी। जिला पदाधिकारी -सह- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बेगूसराय के द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक 14.07.2017 को उनका नाम पैनल से हटाकर काली सूची में दर्ज करने का अदेश दिया गया है।

अतः इनके भ्रष्ट आचरण के कारण इन्हें तत्काल सर्वे कार्य से मुक्त किया जाता है। इनका नाम उजरत भोगी अमीनों की पैनल से हटाया जाता है। इनका नाम काली सूची में दर्ज करते हुए इसकी सूचना सभी जिला के समाहर्ता को दी जाती है।

(समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी का आदेश संचिका सं०-2-57/2017 के -
-टि० पृ०-2 दिनांक 14.07.2017 द्रष्टव्य)

26

अपर समाहर्ता
-सह-
प्रभारी पदाधिकारी,
बन्दोबस्त, बेगूसराय।


ज्ञापांक 303 / सर्वे बेगू० दिनांक 17/7/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाण, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी समाहर्ता-सह-बन्दोबस्त पदाधिकारी को सूचनार्थ।

प्रतिलिपि - जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, बेगूसराय को ऑन लाईन करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।



अपर समाहर्ता
-सह-
प्रभारी पदाधिकारी,
बन्दोबस्त, बेगूसराय।